संख्याः १३५/XXVI–तीन(5)/2008 TC–1

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

नियोजन अनुभाग–2। देहरादून, दिनांक ०५ जून, 2009

विषयः वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु आयोजनेत्तर मद के अंतर्गत पुनर्विनियोग।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप निदेशक, बीस सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के पत्र सं0–770/3–ले0–(पु0वि0)/2009–10, दिनांक 11 मई, 2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय अनुदान संख्या–07 के अधीन लेखा शीर्षक–3454–02–001–04 के अन्तर्गत मद संख्या–02–मजदूरी में संलग्न बी0एम0–15 के अनुसार बचतों को व्यावर्तित करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में कुल रू0 9,000/– (रूपये नौ हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि के आहरण एवं व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:–

1– उक्त धनराशि केवल उन्ही मदों पर व्यय की जायेगी जिनके लिये यह स्वीकृति की जा रही है। चालू योजना पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नई मदों के क्रियान्वयन के लिये नहीं किया जायेगा।

2– स्वीकृत कार्यों पर व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययता के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जाएगा।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण न करके यथा आवश्यकता अनुसार ही व्यय किया जायेगा तथा व्यय की विवरण यथासमय प्रत्येक माह बी0एम0–13 पर शासन को उपलब्ध कराया जाए।

4– यह सुनिश्चित किया जाए कि शासन द्वारा उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त इस संबंध में अब तक जारी शासनादेशों का अनुपालन अधीनस्थ तक भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

5— इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "3454–जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी–आयोजनेत्तर, 001– निदेशन तथा प्रशासन, 04–बीस सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन अधिष्ठान की सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

6— यह स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय सं0–115NP/XXVII–5(1)/2009, दिनांक 03 जून, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

संख्याः /35/XXVI/तीन(5)/2008 TC–1, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2— वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3— उपनिदेशक, बीस सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4— वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
5— समन्वयक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(जी0बी0ओली)
संयुक्त सचिव।

आय–व्यय प्रपत्र–15

पुनर्विनियोग 2008–09 विवरण पत्र

अनुदान संख्या–07
(धनराशि हजार रूपये में)

आयोजनेत्तर
(प्रशासनिक विभाग–नियोजन विभाग)

नियंत्रक अधिकारी–निदेशक, अर्थ एवं संख्या

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष धनराशि (सरप्लस)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–05 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–01 में अवशेष धनराशि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
अनुदान संख्या–07 लेखाशीर्षक– 3454–जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी आयोजनेत्तर 001–निर्देशन तथा प्रशासन 04–बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिष्ठान				अनुदान संख्या–07 लेखाशीर्षक– 3454–जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी आयोजनेत्तर 001–निर्देशन तथा प्रशासन 04–बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिष्ठान			प्रान्तीय रक्षक दल देहरादून से 01 कर्मचारी कि नियुक्ति दैनिक मजदूरी के आधार पर की गई है, जिसका भुगतान 02–मजदूरी मद से किया जा रहा है। प्रथम तीन माहों हेतु शासन द्वारा रू0 3.00 हजार आवंटित है, जिसमें अब तक रू0 2880.00 का भुगतान किया जाना है। जिस हेतु रू0 9.00 हजार की अतिरिक्त आवश्यकता है। अभी मा0 उपाध्यक्ष, बीस सूत्री कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन समिति, उत्तराखण्ड की नियुक्ति नहीं की गई है। अतः 07–मानदेय मद में प्रथम तीन माहों में व्यय नहीं किया जाना है, जिस कारण 07–मानदेय मद से 02–मजदूरी मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है। 07–मानदेय मद में प्रथम तीन माहों हेतु रू0 20.00 हजार आवंटित है। अतः इस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है।
07–मानदेय– 20	–	11	09	02–मजदूरी 09	12	11	
योग– 20	–	11	09	09	12	11	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग के बजट मैनुअल के परिच्छेद–150,151,155 एवं 156 में उल्लिखित प्राविधानो एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(जी0बी0ओली)
संयुक्त सचिव।